


राजस्थान -सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।
क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/एस-582/2018/
दिनांक-

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
जोन-अजमेर।

विषय:-स्व.श्री सुखदेव बलाई,नर्स श्रेणी द्वितीय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,डिग्गी
जिला-टोंक के वेतन आहरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्व.श्री सुखदेव बलाई, नर्स-2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिग्गी, जिला-टोंक की राजकीय सेवा में रहते हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जो माह सितम्बर 2016 से दिसम्बर 2016 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,टोंक के अधीन अधिशेष रहे हैं,फलस्वरूप उक्त अवधि में पद रिक्त नहीं होने के कारण इनका वेतन आहरण नहीं किया जा सका है।


अतः आपके परिक्षेत्र में सितम्बर 2016 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि में नर्सिंग संवर्ग/समकक्ष/उच्च रिक्त पद से स्व.श्री सुखदेव बलाई का वेतन आहरण किये जाने की कार्यवाही कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:-03/04/2018

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-582/18/402
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को उनके पत्र क्रमांक 232 दिनांक 26.02.2018 के क्रम में लेख है कि अविलम्ब जोन-अजमेर से सम्पर्क कर स्व.श्री सुखदेव बलाई,नर्स-2 का उक्त अवधि का वेतन आहरण करवाने का श्रम करें।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।